Ex.P-265

कथन – रफीक मेमन

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मो. रफीक मेमन पिता श्री हाजी मोहम्मद इकबाल
उम्र	–	42 वर्ष
पता	–	अजय नगर केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)
मो. नं.	–	99931–94900
व्यवसाय	–	संचालक, रजा मिल, केशकाल, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

––00––

मैं रफीक मेमन पूछे जांने पर बता रहा हूं कि मैं रज़ा मिल का संचालक हूं, मिल में कस्टम मिलिंग चावल का काम होता है। मैं केशकाल राईस मिल एसोसियेशन का उपाध्यक्ष हूं। केशकाल में वर्तमान में 17 राईस मिल है। केशकाल में एस. डब्ल्यू.सी. गोदामों में कुल 3800 टन की क्षमता है। राईस मिलर्स द्वारा सी.एम.आर. चावल केशकाल और एफ.सी.आई. जगदलपुर के गोदामों में जमा कराया जाता है। केशकाल के गोदामों में कोण्डागांव से पुराना चावल भेजा जा रहा था, इस संबंध में मेरी भट्ट साहब से चर्चा हुई थी कि यदि कोण्डागांव का चावल केशकाल में ट्रांसफर करेंगे तो केशकाल के मिलर्स अपना चावल कहा जमा करायेंगे, तथा उन्हें केशकाल में कोण्डागांव के पुराने चावल के लिये 03 स्टेक रख कर बची हुई जगह में केशकाल के मिलर्स का चावल जमा कराना चालू रखे। भट्ट साहब द्वारा बोला गया था कि आपके यहा से राईस मिलर्स द्वारा कलेक्शन का पैसा कभी दिया ही नहीं गया है। यदि राईस मिलर्स पिछला हिसाब क्लीयर करेंगे तो केशकाल के गोदामों में उनके लिये जगह बनाने की व्यवस्था करेंगे। तब मैंने केशकाल के राईस मिलर से इस संबंध में बात किया था ता सभी मिलर्स कलेक्शन देने के लिये मना कर दिये थे और बोले थे कि भट्ट साहब पैसे ले लेंगे और गोदाम में जगह की कोई व्यवस्था भी नहीं करेंगे, इसलिये जैसा चल रहा है वैसा चलने दो हम लोग एफ. सी.आई. जगदलपुर गोदाम में चावल जमा करायेंगे।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर 99931–94900 से श्री एस.एस. भट्ट मैनेजर नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर से उनके मोबाईल नंबर 88179–03500 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 13.01.2015 के 10:47:54 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 13.01.2015 के 10:49:39 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर मैनेजर **श्री एस0एस0 भट्ट** से उनके

मोबाईल नंबर से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में भट्ट साहब को मेरे द्वारा बताया गया था कि राईस मिलर्स से अगले महिने का कलेक्शन कर लिया हूं पर जिला प्रबंधक कोण्डागांव, द्विवेदी साहब चावल जमा करने में टाल–मटोल करते है और बोले थे कि एक महिने पुराना चावल आयेगा उसके बाद नहीं आयेगा। हम लोगों ने 03 स्टेक पुराना चावल के लिये उनको कहा था तब 03 स्टेक भिजवा दिये थे, इस महिने फिर 03 स्टेक भिजवा दिये है। अब द्विवेदी साहब बोलते है कि उपर अधिकारियों से बात कर लो। मैंने श्री भट्ट साहब को यह भी कहा था क़ि केशकाल से पुराना चावल के साथ–साथ नया चावल का वितरण शुरू करवा दिजिये, तो पिछले महिने का कलेक्शन सभी राईस मिलर्स मिलाकर डायरेक्ट आपको दे देंगे। किन्तु भट्ट साहब ने न तो नया चावल का वितरण शुरू करवाया और न ही केशकाल से एल.आर.टी. शुरू करवाया। इसलिये भट्ट साहब को केशकाल के राईस मिलर्स ने पैसा नहीं दिया है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ